



-1.

243

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. छवालियर

प्र.क्र.

/2016 निगरानी निग - 3376-I-16

1. श्रीमती आकांक्षा पत्नी श्री कुलदीप सिंह

2. कु.अनीता मिश्रा पुत्री श्री सीताराम मिश्रा
समस्तनिवासीगण-तह.राजनगर,जिला छतरपुर म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी

तह. राजनगर, जिला छतरपुर म.प्र.

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 न्यायालय सक्षम
अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण
क्रमांक 19/अ-893(13)/10-11 में आदेश दिनांक 17.08.2011 के
विलम्ब माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर के चाचिका क्रमांक
15210/2011 के आदेश दिनांक 02.09.2016 के पालन में।

श्रीमानजी,

सेवा में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर
प्रस्तुत है :-

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है ओजा राजनगर की
भूमि खसरा नम्बर 2265/3, 2266, 2267, 2269, 2270,
2272/1 कुलकिता 6 एकड़ रकवा 0.877 हैक्टेअर लगान 1.49
रुपये भूमि पर अदैध रूप से आकार प्रकार बनाकर कॉलोनी से
सङ्क जल-मल नाली, बिजली एवं आदि की मूलभूत निगरीय
सुविधाओं का प्रावधान किये बिना एवं नगर तथा ग्राम निवेदश से
अभिन्यास अनुमोदन के बिना अदैध कॉलोनी विकसित करना
प्रतिवेदित हुआ है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3374 / 1/2016 निगरानी


जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 -10-2016	<p>आवेदिकागण की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी.भटनागर द्वारा यह निगरानी सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 19/अ-893(13)/10-11 में पारित आदेश दिनांक 17-8-2011 से परिवेदित होकर, म0प्र0भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा संहिता 1959 की धारा 172(1) का उल्लंघन होने से आवेदिका की भूमि का प्रबंधन शासन हित में लेने का अवैधानिक आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध आवेदिकागण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका क्रमांक 15210/2011 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2-9-2016 को माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया। जिसके पालन में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यह तर्क दिया गया कि, विचाराधीन प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 2265/3, 2266, 2267, 2269, 2270, 2272/1 कुल किता 6 एकत्र रकवा 0.877 हैक्टर स्थित मौजा राजनगर, जिला छतरपुर पटवारी हल्का नंबर 32 का मालिक भूमि स्वामी आधिपत्यधारी आवेदिकागण है उनके द्वारा यह भूमि खातेदार वेवा चिरन्जोबाई पत्नी स्व. श्री रामलाल कुम्हार निवासी राजनगर, सहमतिकर्ता श्रीमती कुंवरबाई पत्नी रामलाल कुम्हार निवासी राजनगर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 719</p>	

दिनांक 13-9-2010 को कथ की थी। पटवारी राजनगर ने दिनांक 5-2-2011 को अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किय गया कि खसरा नंबर 2265/3, 2266, 2267, 2269, 2270, 2272/1 कुल किता 6 एकत्र रकवा 0.877 हैक्टर कृषि भूमि पर आवेदिकागण द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर कृषि भूमि को कृषि प्रयोजन से हटाकर उसे समतल कर एवं मौके पर कच्ची रास्ता बनाकर आवासीय उपयोग में करने का प्रयास किया जा कर अवैध कालौनी बनाई जा रही है। इस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8-2-2011 को कारण बताओं सूचना—पत्र जारी किया जाकर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत मनमाना आदेश पारित किया गया है। व भूमि का प्रबंधन शासन हित में लेते हुए आदेश दिनांक 17-8-2011 पारित किया गया साथ ही दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 17-8-2011 से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिकागण को प्रकरण में साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन व पंचनामा को प्रमाणित नहीं किया है। इस प्रकार पटवारी की साक्ष्य को आधार बनाते हुए प्रकरण में कार्यवाही की गई है। जो विधि विरुद्ध है। म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 अ में सबूत का भार—यह भार सरकार पर है कि वह साबित करें कि धारा 59(1) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही है। सबूत का यह भार पटवारी के कथन से पूरा नहीं किय जा सकता है। उन्होंने तर्क में यह भी कहा है कि, माननीय उच्च न्यायालय ने भी न्याय द्वष्टान्त आरो एनो 1994 पेज 192 ब्रजभूषण मोदी बनाम म.प्र.राज्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि वास्तव में डायर्वर्सन कब किया गया, यह देखा जाना चाहिए। उपपंजीयक द्वारा जो विक्य सूची पेश की गई थी उसके अनुसार केतागण को भी पक्षकार बनाते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अतं में उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का

विधिवत् अबसर पेश किये जाने का अबसर दिया जावें। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा न्यायालयीन प्रकरण दिनांक 12-8-2011 को लिया जाकर तर्क हेतु दिनांक 16-8-2011 को नियत किया गया व दिनांक 16-8-2011 को यह लेख किया है कि विद्वान् अभिभाषक चाहे तो ओदश के पूर्व लिखित तर्क पेश कर सकते हैं और प्रकरण 17-8-2011 के लिये नियत किया व दिनांक 17-8-2011 को आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार आवेदिकागण को अपना पक्ष पेश करने का यथोचित अवसर दिया जाना नहीं पाया जाता है। प्रकरण में इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कि क्या विवादित भूमि का डायवर्सन किया गया है, किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चूंकि भूमि का डायवर्सन संहिता 1959 की धारा 172 के तहत निर्धारित किया जाता है। और यदि एक बार इस संबंध में कोई आदेश हो चुका है तो संहिता की धारा 51 के तहत क्या उसके पुनर्विलोकन की कार्यवाही की गई है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार इस प्रकार की कार्यवाही प्रकरण में किया जाना नहीं पाया जाता है।

5— उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-8-2011 निरस्त किया जाता है एवं आवेदिकागण के नाम की प्रविष्टि खसरे में अंकित की जाकर, आवेदिकागण को भूमि का समतलीयकरण करने का अधिकार देते हुए निगरानी स्वीकार की जाती है।



(एम.के.सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

